भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1995
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

तटीय राज्यों में आपदा प्रबंधन की तैयारी

1995 श्री देबाशीष सामंतराय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चक्रवात- प्रवण तटीय राज्यों में आपदा प्रबंधन की तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) आपदा प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों को आवश्यक वित्तीय एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके तथा आपदा तैयारी, शमन, पूर्व चेतावनी एवं त्वरित प्रतिक्रिया हेतु संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाकर सहयोग करती है। चक्रवात-प्रवण तटीय राज्यों में आपदा तैयारी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की तैनाती तथा आपदा मित्र योजना एवं युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) को स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य चक्रवातों से हानि को कम करने, आपदा-रोधी अवसंरचना का विकास करने तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ-साथ जनसामान्य एवं अवसंरचना को अधिक सुरक्षित एवं आपदा-रेजिलिएंट बनाना है। यह परियोजना देश के आठ तटीय राज्यों में दो चरणों में ₹4,331.68 करोड़ की कुल लागत से कार्यान्वित की गई।

(ख) केंद्र सरकार, वर्तमान आपदा प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF), राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) तथा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) के माध्यम से, प्रचलित दिशा-निर्देशों तथा वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान SDRF/NDRF तथा SDMF/NDMF के अंतर्गत राज्यों को आवंटित एवं जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I एवं अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) केंद्र सरकार ने चक्रवात, बाढ़, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं की समयपूर्व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सुदृढ़ एवं प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। NCRMP के अंतर्गत तटीय राज्यों में भी पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से हाल के चक्रवातों के दौरान तटीय समुदायों तक समय पर चेतावनी का प्रसार किया गया है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली के माध्यम से एसएमएस, टेलीविजन, रेडियो, भारतीय रेल, तटीय सायरन तथा विभिन्न चेतावनी एजेंसियों के एकीकरण द्वारा भौगोलिक रूप से लक्षित आपदा चेतावनियों का प्रसारण प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम भी प्रारंभ किया गया है, जिससे आपदा एवं आकस्मिक घटनाओं के संबंध में नागरिकों को अत्यल्प समय में त्वरित चेतावनी उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1995, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-I

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत आवंटित और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन			एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा			एनडीआरएफ से जारी राशि (सभी आपदाओं के लिए)		
		2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	1315.20	1380.80	1449.60	987.20	1036.00	1088.00	--	56.90	132.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.60	256.80	270.40	220.80	115.60	358.80	--	--	34.54
3.	असम	756.80	795.20	834.40	680.80	716.00	751.20	--	29.02	722.36
4.	बिहार	1664.80	1748.00	1836.00	1248.80	1311.20	1376.80	--	--	76.70
5.	छत्तीसगढ़	508.00	533.60	560.00	181.60	380.80	610.00	--	33.24	--
6.	गोवा	12.80	13.60	15.20	9.60	10.40	11.20	--	31.50	--
7.	गुजरात	1556.80	1635.20	1716.00	1140.00	600.00	2497.60	--	--	492.09
8.	हरियाणा	577.60	606.40	636.80	433.60	455.20	477.60	--	--	26.24
9.	हिमाचल प्रदेश	400.80	420.00	441.60	360.80	378.40	397.60	787.25	84.56	1890.09
10.	झारखण्ड	667.20	701.60	736.00	476.80	1027.20	552.00	--	--	77.69
11.	कर्नाटक	929.60	976.00	1024.80	697.60	732.00	768.80	--	3528.45	98.98
12.	केरल	369.60	388.00	408.00	277.60	291.20	306.40	--	--	162.23

13.	मध्य प्रदेश	2140.80	2248.00	2360.00	1605.60	1686.40	1770.40	--	--	208.01
14.	महाराष्ट्र	3788.80	3978.40	4176.80	2841.60	2984.00	3132.80	--	--	322.21
15.	मणिपुर	41.60	44.00	45.60	18.80	50.00	49.60	--	12.15	143.23
16.	मेघालय	64.80	67.20	71.20	27.20	59.60	60.00	--	11.98	--
17.	मिजोरम	46.40	48.00	50.40	41.60	43.20	45.60	--	18.36	14.40
18.	नगालैंड	40.80	42.40	44.80	36.80	38.40	40.00	--	181.81	183.65
19.	ओडिशा	1886.40	1980.80	2080.00	1415.20	1485.60	1560.00	--	45.09	60.16
20.	पंजाब	582.40	611.20	642.40	436.80	458.40	481.60	--	29.60	39.47
21.	राजस्थान	1742.40	1828.80	1920.00	1307.20	1372.00	1440.00	--	--	87.51
22.	सिक्किम	49.60	52.00	54.40	44.80	47.20	48.80	81.89	229.82	96.47
23.	तमिलनाडु	1200.00	1260.00	1322.40	900.00	944.80	992.00	--	360.09	534.32
24.	तेलंगाना	528.00	555.20	582.40	584.80	416.80	436.80	--	42.78	99.82
25.	त्रिपुरा	67.20	70.40	74.40	60.80	71.60	58.80	--	186.40	15.25
26.	उत्तर प्रदेश	2273.60	2388.00	2507.20	1664.80	1748.40	2776.40	--	172.95	--
27.	उत्तराखंड	918.40	964.00	1012.00	826.40	434.00	911.20	--	21.30	291.15
28.	पश्चिम बंगाल	1189.60	1248.00	1311.20	892.00	936.00	983.20	--	84.77	--
कुल		**25565.60**	**26841.60**	**28184.00**	**19419.60**	**19830.40**	**24193.20**	**869.14**	**5160.77**	**5909.26**

राज्य सभा अता. प्र.सं. 1995, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-II

वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत आवंटित और जारी धनराशि का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र सं.	**राज्य**	**केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीएमएफ के तहत आवंटन**			**एसडीएमएफ में केंद्र का जारी हिस्सा**			**एनडीएमएफ से जारी राशि**	
		2023-24	**2024-25**	**2025-26**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**
1.	आंध्र प्रदेश	328.80	345.20	365.40	--	740.80	272.00	--	76.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	61.40	64.20	67.60	--	52.60	173.80	1.833	23.237
3.	असम	189.20	198.80	208.60	162.20	--	537.00	--	236.21
4.	बिहार	416.20	437.00	459.00	304.80	483.90	344.20	--	66.47
5.	छत्तीसगढ़	127.00	133.40	140.0	90.80	--	300.20	--	43.29
6.	गोवा	3.20	3.40	3.80	1.20	5.00	2.80	--	--
7.	गुजरात	389.20	408.80	429.00	139.00	--	920.40	73.17	7.71
8.	हरियाणा	144.40	151.60	159.20	--	105.80	287.40	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	100.20	105.00	110.40	42.80	184.654	99.40	--	54.22
10.	झारखण्ड	166.80	175.40	184.00	--	--	514.00	--	84.28
11.	कर्नाटक	232.40	244.00	256.20	--	--	715.60	71.616	79.89
12.	केरल	92.40	97.00	102.00	100.70	71.10	113.00	--	13.96
13.	मध्य प्रदेश	535.20	562.00	590.0	391.80	411.50	653.40	--	108.13
14.	महाराष्ट्र	947.20	994.60	1044.20	433.80	710.40	1529.20	225.00	97.73
15.	मणिपुर	10.40	11.00	11.40	--	--	38.40	--	38.00

16.	मेघालय	16.20	16.80	17.80	--	--	--	--	17.85
17.	मिजोरम	11.60	12.00	12.60	15.30	10.80	11.40	--	27.24
18.	नगालैंड	10.20	10.60	11.20	13.50	9.60	10.00	--	20.65
19.	ओडिशा	471.60	495.20	520.00	522.30	371.40	390.00	--	62.11
20.	पंजाब	145.60	152.80	160.60	158.60	111.90	177.70	--	--
21.	राजस्थान	435.60	457.20	480.00	482.40	343.00	360.00	8.35	50.00
22.	सिक्किम	12.40	13.00	13.60	16.50	11.80	12.20	114.75	13.50
23.	तमिलनाडु	300.00	315.00	330.60	107.40	461.20	248.00	75.00	276.12
24.	तेलंगाना	132.00	138.80	145.60	--	--	496.60	--	74.07
25.	त्रिपुरा	16.80	17.60	18.60	7.10	--	47.80	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	568.40	597.00	626.80	629.40	447.80	470.20	--	16.47
27.	उत्तराखंड	229.60	241.00	253.00	305.00	217.00	227.80	--	27.54
28.	पश्चिम बंगाल	297.40	312.00	327.80	329.20	234.00	245.80	150.00	--
Total		**6391.40**	**6710.40**	**7046.00**	**4253.50**	**4984.254**	**9198.30**	**719.72**	**1515.077**